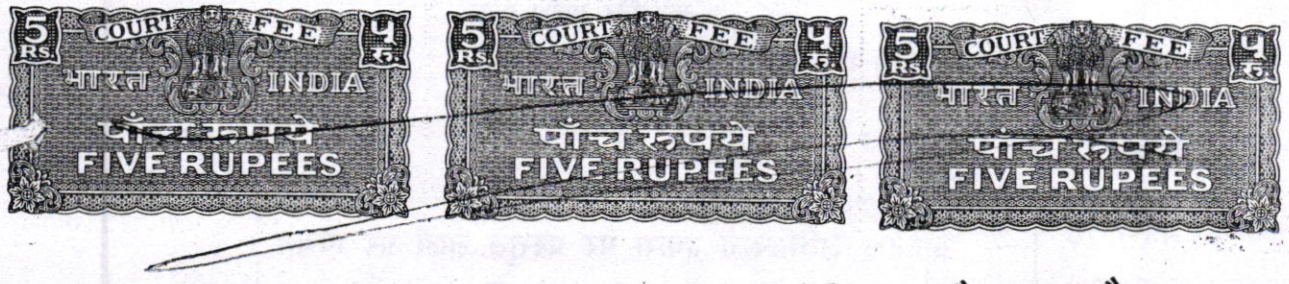

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प–उज्जैन

प्रकरण क. /2005–06 निगरानी

R 1375-I/05

वासुदेव पिता श्री शिवनारायण, अज्ञान बालक माता फुंदाबाई,द्वारा– मुख्त्यारआम शिवनारायण पाटीदार, निवासी–मानकुंड, तहसील बागली, जिला– देवास ––––––आवेदक

श्री प्रमोद कुमार जैन अभिभाषक द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत।
26/8/05

––––विरूद्ध––––

1. श्री रामचन्द्र मंदिर, स्थित ग्राम मानकुंड तर्फे पुजारी महेशचन्द्र पिता श्री बद्रीलाल, निवासी–मानकुंड, तहसील बागली, जिला– देवास
2. अशोककुमार पिता बद्रीलाल, निवासी–मानकुंड, तहसील बागली, जिला– देवास

––––––अनावेदकगण

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 185/04–05 में पारित आदेश दिनांक 10/8/2005 के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1375-एक/2005 जिला देवास

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र. क्र. 128/2004-05/निगरानी में पारित आदेश दि. 10-8-2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर सुनवाई के कलेक्टर के आदेश को अंतिम आदेश मानकर अपील योग्य आदेश मानकर निगरानी अग्राह्य करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को ग्राह्यता के बिन्दु पर नहीं सुना गया । प्रकरण के स्वरूप को न्यायिक विवेक से नहींदेखकर आदेश प्रदान करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर उनके समक्ष विचारार्थ प्रकरण सुनवाई में ग्राह्य कर गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया गया । 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचारोपरांत अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के मूल आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि म0प्र0भू-राजस्व संहिता में मूल आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी को सुनवाई हेतु अग्राह्य किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-8-2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	